रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 132] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 7, 1995/फाल्गुन 16, 1916
No. 132] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 7, 1995/PHALGUNA 16, 1916

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1995

का.आ. 141 (अ) :—केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित को केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए 6 मार्च, 1998 की अवधि तक नामित करती है, इसमें 6 मार्च, 1998 भी शामिल है :—

1. सरकार के सचिव-II वाणिज्य तथा उद्योग विभाग, कर्नाटक सरकार, बंगलौर।	अधिनियम की धारा (4) (3) (घ) के अंतर्गत कर्नाटक सरकार द्वारा नामित।

2. रेशम उत्पादन विकास आयुक्त तथा रेशम उत्पादन निदेशक, कर्नाटक सरकार, बंगलौर	अधिनियम की धारा (4) (3) (घ) के अंतर्गत कर्नाटक सरकार द्वारा नामित ।

[फा. सं. 25012/5/94-रेशम]

अजित सेठ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 1995

S.O. 141(E).—In exercise of powers conferred by Section 4, of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), the Central Government hereby nominates the following to serve as members of the Central Silk Board for a period upto and including 6th March, 1998:—

1. Secretary to Government-II Commerce & Industries Deptt. Government of Karnataka, Bangalore.	Nominated by the Govt. of Karnataka under Section (4) (3) (d) of the Act.
2. Commissioner for Sericultural Development & Director of Sericultre, Government of Karnataka, Bangalore.	-do-

[File No. 25012/5/94-Silk]

AJIT SETH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995